संख्या/1580/सत्रह-म-2022-17-1002(009)/2/2022 पार्ट-3

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0
2. निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

विषयः "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (एम.एम.एम.एस.वाई.) के संचालन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-548/ नि0शा0/दिनांक 18.11.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अनेक समुदायों का जीविकोपार्जन का मुख्य आधार मत्स्य पालन है। मत्स्य उत्पादन में प्रचुर बढ़ोत्तरी किये जाने तथा मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की स्थिति में समग्र रूप से गुणात्मक विकास लाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.05.2020 से "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" लागू की गयी है। मत्स्य क्षेत्र से प्रदेश में लगभग 39 लाख मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आजीविका प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि और मत्स्य पालकों की आर्थिक समृद्धि की अपार संभावनायें हैं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में स्थानीय पट्टाधारक मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" (एम0एम0एम0एस0वाई0) संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा- निर्देश इस प्रकार है-

2- <u>योजना का उद्देश्य</u>-

प्रदेशवासियों के लिए मत्स्य पालन पुष्टाहार, रोजगार एवं आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य आहार प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी, मछुआरों एवं मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा, स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे एवं कुपोषण को दूर करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

<u>3- योजना का औचित्य</u> -

प्रदेश में ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों व पट्टाधारकों द्वारा परम्परागत तरीके से किया जा रहा है। इन तालाबों की वार्षिक मत्स्य उत्पादकता मात्र 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन तालाबों का मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से सुधार कराकर अथवा स्वयं के संसाधन से सुधारे गये ग्राम सभा एवं अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराते हुए मत्स्य उत्पादकता को 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों व मछुआरों की आय में वृद्धि व उनका आर्थिक व सामाजिक उत्थान किया जाना सरकार

की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। वर्तमान में प्रचलित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों पर कोई परियोजना अनुमन्य नहीं है। इसी रिक्तता को भरने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" प्रस्तावित की जा रही है।

4- योजना का क्रियान्वयन -

1- योजना को ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों व मछुआरों के लिए परिकल्पित किया गया है, जिसमें दो उपयोजनायें हैं-

(क) मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान

(ख) मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना

2- "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" के अन्तर्गत उपर्युक्त अंकित दोनों उप योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा-

(क) मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत धनराशि रू0 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा(कंपोनेंट-A)

(ख) मनरेगा कनवर्जेन्स अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना हेतु इकाई लागत रू0 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा(कंपोनेंट-B)।

5- लाभार्थी चयन प्रक्रिया एवं मानदण्ड-

जिला स्तरीय समिति (डी0एल0सी0)

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर लाभार्थी चयन एवं अनुमोदन, योजना के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) का गठन निम्नवत किया जायेगा:-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	उप निदेशक कृषि,	सदस्य
4	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
5	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
6	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
7	जिलाधिकारी द्वारा नामित कृषि विज्ञान केन्द्र (के0वी0के0) का एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
8	जिलाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित जनपद का एक प्रगतिशील मछुआरा या मत्स्य पालक	सदस्य
9	मत्स्य विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य-सचिव

6- लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी-

1- लाभार्थियों का चयन उपर्युक्तानुसार तालिका में वर्णित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

2- इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त किए जायेंगे।

3- बाम सभा अथवा अन्य पट्टे के तालाबों के पट्टाधारक एवं पट्टाधारी मत्स्य जीवी सहकारी समितियां अधिकतम 2.0 हे0 क्षेत्रफल के तालाब की सीमा तक योजना की पात्र होंगी।

4- पूर्ण पट्टा अवधि में पट्टाधारक को किसी भी एक परियोजना में एक बार ही लाभ देय होगा।

5- जनपद में पट्टे पर आवंटित बाम सभा अथवा अन्य पट्टे के तालाबों के इच्छुक ऐसे आवेदक चयन हेतु पात्र होंगे, जिनके तालाब के पट्टे की अवधि न्यूनतम 04 वर्ष शेष हो।

6- लाभार्थियों के पारदर्शी चयन हेतु योजना का समुचित प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों तथा सोशल मीडिया जैसे यू-ट्यूब आदि के माध्यम से करते हुए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे एवं चयनित लाभार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- लाभार्थी चयन में जनपद स्तर पर उपयुक्तता के आधार पर यथासम्भव सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

8- सम्बन्धित जनपद में पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य, निदेशक मत्स्य के पूर्वानुमोदन से आवंटित लक्ष्य की सीमा तक मण्डल के अन्य जनपदों में नियमानुसार लक्ष्य पुनरावंटित करने हेतु अधिकृत होंगे। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निदेशक मत्स्य द्वारा अन्य मण्डल में लक्ष्य आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

9- पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समिति के प्रकरण में समिति को विगत 3 वर्षो की आडिट रिपोर्ट, लाभांश वितरण पंजिका तथा समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- लाभार्थी चयन के समय लाभार्थी के मत्स्य पालन के अनुभव, उद्यमशीलता एवं परियोजना के लाभार्थी अंश की धनराशि स्वयं अथवा बैंक ऋण से वहन करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जायेगा।

11- चयनित लाभार्थी कम से कम 4 वर्ष तक आवेदित तालाब पर मत्स्य पालन करेगा और यदि बीच में मत्स्य पालन अथवा मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य बन्द करता है तो उपलब्ध करायी गयी अनुदान की धनराशि की वसूली 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति की जायेगी, जिसके लिए लाभार्थी को स्वप्रमाणित अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगा।

12- चयनित लाभार्थी को परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निवेश (मत्स्य अंगुलिका, पूरक आहार एवं पानी की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित अन्य सामग्री खरीदना) अनिवार्य होगा तथा इसके प्रमाणित बिल/वाउचर विभागीय कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक मत्स्य द्वारा आवश्यक प्रारूप निर्गत किया जायेगा।

7- भौतिक कार्यपूर्ति का मापदण्ड-

1- लाभार्थी चयन के उपरान्त स्थल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण मत्स्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित स्थल का मृदा परीक्षण एवं फिजीबिलटी रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा निवेश मद की क्रय सामग्रियों के सत्यापन एवं जियो टैगिंग 04 बार कराकर अभिलिखित की जायेगी।

3- लाभार्थी द्वारा बैंक ऋण लिए जाने की दशा में सम्बन्धित स्वीकर्ता बैंक द्वारा परियोजना की धनराशि का वितरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त के उपयोग के उपरान्त मत्स्य विभाग की सत्यापन रिपोर्ट व जियो टैगिंग के उपरान्त परियोजना की द्वितीय किश्त लाभार्थी को उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 4 बार जियो टैगिंग की कार्यवाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम जियो टैगिंग, प्रथम किश्त अनुमन्य होने के उपरान्त द्वितीय जियो टैगिंग, द्वितीय किश्त अनुमन्य होने के उपरान्त तृतीय जियो टैगिंग तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त चतुर्थ जियो टैगिंग की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

8- योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण-

योजना के मूल्यांकन हेतु मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा योजना के कार्यान्वयन का जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण भी किया जायेगा। योजना अवधि में महत्वपूर्ण घटकों का साक्ष्य जियोटैगिंग व वीडियोग्राफी के माध्यम से जनपद स्तर पर अभिलेखार्थ सुरक्षित रखा जायेगा।योजना का लाभ निर्धारित समयावधि में लाभार्थियों को प्रदान किये जाने हेतु निदेशक मत्स्य द्वारा समय-सारणी का निर्धारण किया जायेगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ही "मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना" (एम.एम.एम.एस.वाई.) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

9- विविध-

परियोजना के अन्तर्गत तालाबों का सुधार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना के माध्यम से कराया जायेगा। सम्बधित जनपदीय अधिकारी द्वारा चिन्हित पट्टे के तालाबों व पट्टेधारकों की सूची मनरेगा योजनान्तर्गत सुधार हेतु जनपद के उपायुक्त (श्रम-रोजगार)/ प्रभारी उपायुक्त (श्रम-रोजगार) डी0आर0डी0ए0 एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे और मत्स्य पालन के

दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या-436/सत्रह-म-2022-6-9(97)/2017 दिनांक 13.05.2022 में उल्लिखित प्राविधान, मानक व नक्शे के अनुसार तालाब सुधार का प्रस्ताव जनपद के मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराया जायेगा । तदोपरान्त उन्हें योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए अनुदानित किया जायेगा।

10- योजना पाँच वर्षों (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए संचालित की जायेगी। योजना का फण्डिंग पैटर्न 40: 60 (अनुदान अंश 40 प्रतिशत + लाभार्थी अंश 60 प्रतिशत) प्रस्तावित है। योजना के संचालन में वार्षिक लागत रू0 24 करोड़ तथा 05 वर्षों में कुल रू0 120 करोड़ की लागत सम्भावित है, जिसमें 2 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय सहित रू0 9.80 करोड की वार्षिक धनराशि एवं 5 वर्ष के लिए रू0 48.96 करोड़ की धनराशि अनुदान अंश के रूप में सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 600 हेक्टेयर जलक्षेत्र एवं आगामी 5 वर्षों में 3000 हेक्टेयर जलक्षेत्र आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या/580/ सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त/ न्याय/ ग्राम्य विकास/ पंचायती राज/ संस्थागत वित्त/ नगर विकास एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
(7) निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(8) समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
(10) गार्ड फाइल।

30.12.22

आज्ञा से,
(आर0 पी0 सिंह)
उप सचिव।